पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनन्दन यादव, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स०	"दरभंगा एवं मधुबनी जिला सहित राज्य के कई जिलों में बगीचा बचाओ कार्यक्रम में भारी लूट-खसोट किया गया है । मधुबनी जिला में वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक करोड़ नब्बे लाख रुपये का बिना वर्क आर्डर के तत्कालीन प्रभारी उद्यान पदाधिकारी मौखिक आदेश के तहत नियम की अनदेखी कर अपने चहेतों के माध्यम से काम करवा कर फर्जीवाड़ा किया गया है । किसान सलाहकार के बदले क्षेत्र सलाहकार के नाम राशि का चेक दिया गया, जबकि दो करोड़ 95 लाख रुपये का आवंटन जिले को प्राप्त था । शेष राशि पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने रोक लगा दिया है । वर्तमान जिला उद्यान पदाधिकारी ने भी इसे अनियमितता माना है । इसी प्रकार अन्य जिलों में भी अनियमितता के मामले उजागर हुए हैं । अतः जनहित में बगीचा बचाओ योजना के लूट-खसोट करने वाले मधुबनी जिला के भ्रष्ट तत्कालीन प्रभारी उद्यान पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं बिहार के सभी जिलों में उक्त योजना की जांच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

1	2	3	4
2.	श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री अवनीश कुमार सिंह, स०वि०स०	"समाहर्त्ता, लखीसराय द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सम्बोधित पत्रांक-109, दिनांक-30.01.13 के अनुसार सूर्यगढ़ा अंचल का खाता संख्या-86, खेसरा संख्या-491, कुल रकबा-20 डिसमिल खतियान के अनुसार गैर मजरूआ आम जमीन है, जिस पर नाजायज ढंग से दुकान बनाया गया है । नियमानुसार गैर मजरूआ आम जमीन का हस्तांतरण अथवा बिक्री या दान गैर कानूनी है । इसके बावजूद उक्त सरकारी जमीन का एक भाग 5.2/3 डिसमिल श्री प्रहलाद यादव, पूर्व विधायक द्वारा क्रय दिखाया गया है जो नियम विरूद्ध है । सरकारी जमीन की इस खरीद बिक्री में दिनेश कुमार सिंह, पूर्व अंचल अधिकारी-सह-उप निबंधक, सूर्यगढ़ा की संलिप्तता प्रमाणित हो चुकी है । अंचल अधिकारी के रूप में श्री सिंह उपरोक्त गैर मजरूआ सरकारी जमीन के संरक्षक थे । परन्तु उप निबंधक के रूप में उन्होंने उक्त जमीन का निबंधन श्री यादव के नाम से उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जो गैर कानूनी, अनैतिक और सरकारी संपत्ति को बेचने की श्रेणी में आता है । अतः गैर कानूनी ढंग से सरकारी संपत्ति को बेचने के लिए दोषी पूर्व अंचल अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए जमीन का निबंधन रद्द करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/13- 314 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/13- 314 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।